न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, जिला नागौर

बईजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – **14/2020**

प्रार्थी – 1. बीरमाराम पुत्र तुलछाराम, जाति जाट, निवासी गुन्दीसर, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. तहसीलदार, डेगाना।
2. हल्का पटवारी, लंगौड़।

प्रार्थना पत्र बाबत् 111, 129 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री छोटूराम बेड़ा

दिनांक : 16/7/2020

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर से यह राजस्व प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गुन्दीसर की राजस्व सीमा में जमीन खेत खसरा नंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 आयी हुई है। उक्त भूमि खेत खसरानंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के दक्षिण दिशा में आया हुआ है। प्रार्थी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 का सेटेलाईट नक्शा तथा मौके की स्थिति अनुसार करीब–करीब सम चौरस स्थिति में आया हुआ है। जिसे लाल स्याही से डिमार्केट कर मार्क एबीसीडी दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष सेटेलाईट नक्शा तथा मौके की स्थिति की छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। हल्का पटवारी द्वारा उपर्युक्त कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 664/654 जिसके पुराने खसरा नंबर 134 जिसे एनआईसी भूनक्शा गलत अंकन किये जाने से पंच कोणीय दर्शाया जाकर पूर्व–दक्षिण दिशा में लम्बाई ज्यादा दर्शाये जाने से प्रार्थी को बहुत नुकसान कारित होने वाला है। एनआईसी भूनक्शा गलत अंकन किये गये की प्रति संलग्न पेश है। प्रार्थी ने चार रोज पूर्व जब इन्टरनेट से जमाबंदी तथा नक्शा की छायाप्रतियां निकलवायी तो पता चलने पर संबंधित हल्का पटवारी से उक्त त्रुटि के संबंध में अवगत कराया गया तो प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि उक्त त्रुटि के सुधार हेतु सक्षम अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी ही सुधार करने के आदेश जारी कर सकते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 129 का राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

...नक्शे में मौके पर स्थित कृषि भूमि का सही अंकन करवाने के लिये विधि द्वारा ...पित प्रक्रिया का पालन करवाया जाकर प्रार्थी के कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 किस्म बारानी 2 खाता संख्या 148 जिसे एनआईसी भूनक्शा में सही अंकन किये जाने की महति अनुकम्पा करवाई जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार डेगाना को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जिस पर तहसीलदार, डेगाना ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुन्दीसर के खसरा नंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 वर्तमान रिकार्ड में उक्त खसरा बीरमाराम पुत्र तुलछाराम के नाम से दर्ज है। उक्त खसरे की नजरी नक्शा अनुसार उपरोक्त स्थिति पायी गयी है। बिन्दु एबीसीडीई खसरा नंबर 664/654 की वर्तमान रिकार्ड अनुसार स्थिति है। बिन्दु एबीएचजीएफ खसरा नंबर 664/654 की वर्तमान मौके अनुसार स्थिति है। वर्तमान नक्शे में उपरी नजरे अनुसार खसरा नंबर 664/654 की दक्षिणी मेड़ की लंबाई 156 मीटर है बिन्दु बीसी तक है। जबकि मौके पर इस दिशा की मेड़ की लंबाई 121 मीटर बिन्दु बीएच तक है। वर्तमान नक्शे में पश्चिमी दिशा की मेड़ बिन्दु सी से डी की दुरी 67 मीटर है जबकि मौके पर बिन्दु एच से जी की दुरी 86 मीटर है। नक्शे में उक्त खसरे की उत्तरी मेड़ की लंबाई बिन्दु डी से ई तक की दुरी 126 मीटर है, जबकि मौके पर इस मेड़ की लंबाई बिन्दु जी से एफ की लंबाई 91 मीटर है। नक्शे में उक्त खसरे की पूर्वी मेड़ की लंबाई बिन्दु ई से ए तक 72 मीटर है। जबकि मौके पर इस मेड़ की लंबाई बिन्दु एफ से ए की लंबाई 103 मीटर है। अतः उपरी नजरी नक्शे अनुसार ग्राम गुन्दीसर के खसरा नंबर 664/654 की रेकर्ड व मौके अनुसार स्थिति स्पष्ट है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी के सगे भाई (पड़ौसी खातेदार) को बुलाकर उनसे मौके की स्थिति के बारे में अवगत कराया, जिस पर प्रार्थी के भाई छोटूराम पुत्र तुलछाराम ने सहमति पत्र प्रस्तुत कर अपने बयान दर्ज करवाकर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नंबर 664/654 का मौके अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बयान शामिल पत्रावली है।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं तहसीलदार, डेगाना एवं पटवार हल्का लंगौड़ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती का स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार, डेगाना ग्राम गुन्दीसर के खेत खसरा नंबर 664/654 रकबा 01.30 है0 एवं खसरा नंबर 654 रकबा 01.12 है0 का तहसीलदार, डेगाना एवं पटवार हल्का लंगौड़ की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। तहसीलदार, डेगाना एवं पटवार हल्का लंगोड की मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग समझी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अशोक कुमार चौधरी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner